विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना के संबंध में राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों की बैठक आयोजित

सवाई माधोपुर (प्रा.सं.)। विधानसभा आम चुनाव 2023 की मतगणना के संबंध में राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह नरूका की अध्यक्षता

में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के मतों की गणना 3 दिसम्बर, 2023 को प्रात: 8 बजे से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहूनगर सवाई माधोपुर में होगी। सवाई माधोपुर एवं गंगापुर जिलों की चारों विधानसभा क्षेत्रों में के लिए आवंटित स्ट्रांग रूम को प्रात: 7:30 बजे पर्यवेक्षक की उपस्थिति में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचन अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता उनके गणना एजेन्टों की नियुक्ति का प्रारूप कार्यालय में जमा करवाकर परिचय पत्र प्राप्त कर लेंवे। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को उनके एजेन्टों को मतगणना कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परिचय पत्र के साथ मतगणना से एक घण्टे पूर्व उपस्थित होने की बात कहीं। मतगणना अभिकर्ताओं को आमतौर पर मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना के दौरान मतगणना कक्ष के अंदर पेन/पेंसिल, सादा कागज/नोट पैड, मतदान समाप्ति के बाद मतदान अभिकर्ता से प्राप्त 17सी की डुप्लिकेट कॉपी ले जाने की अनुमति है। मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बैठक में असरार अहमद, बुद्धिप्रकाश, धमेन्द्र सिंह, शहजादी बानों, रईस अहमद अंसारी, राम गोपाल गुणसारिया, राजेन्द्र सिंह नरूका सहित अन्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी उपस्थित रहे।

मतगणना के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

टोंक (प्रा.सं.)। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. ओमप्रकाश बैरवा ने 3 दिसंबर रविवार को मतगणना के दौरान जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद के सीईओ देशलदान को राजकीय महाविद्यालय परिसर, राजस्व अपील अधिकारी उम्मेदी लाल मीणा को घंटाघर टोंक तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (पुनर्वास) एवं बीसलपुर परियोजना देवली को पवेलियन मैदान परिसर का ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति की निगरानी रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने की सुनिश्चितता करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका होने या घटित होने की दशा में तत्काल सूचित करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण

स्ट्रॉन्ग रूमों की सुरक्षा व्यवस्था को देखा, मतगणना कक्षों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

सवाई माधोपुर (प्रा.सं.)। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला एवं जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला ने गुरूवार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहूनगर सवाई माधोपुर में मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रॉन्ग रूमों की सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना कक्षों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

उन्होंने मतगणना स्थल पर स्थापित सीसीटीवी मॉनिटरिंग कक्ष,आईटी टीम कक्ष, विधानसभावार स्ट्रॉन्ग रूम, विधानसभावार मतगणना कक्षों और सम्पूर्ण परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए।

इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना व्यवस्थाओं को लेकर नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया की सभी प्रभारी अधिकारी मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि मतगणना के लिए सभी आवश्यक सामग्रियों एवं साधनों की उपलब्धता निर्धारित समय से पूर्व कर ली जाए। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर मतगणना संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना कक्षों में काउंटिंग टेबल व्यवस्था, काउंटिंग टीम व काउंटिंग एजेंट्स की एंट्री व्यवस्था, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग व्यवस्था, परामर्श व सुविधा केन्द्र, लाईट, पेयजल, माईक, संचार, चिकित्सा, विधानसभावार कम्प्यूटराइजेशन के लिए कम्प्यूटर व्यवस्था, वाहन पार्किंग व्यवस्था, मीडिया कक्ष कि मतगणना के लिए सभी आवश्यक स्थापित करने संबंधी आवश्यक निर्देश सामग्रियों एवं साधनों की उपलब्धता संबंधित प्रभारी अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह नरूका, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार, रिटर्निंग अधिकारी सवाई माधोपुर अनिल चौधरी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी खण्डार उपेन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियनता सार्वजनिक निर्माण विभाग रूपनारायण बैरवा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक पंकज मीना, तहसीलदार निर्वाचन चन्द्रशेखर सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।

सिविल सेवा वॉलीबाल, बास्केटबॉल, क्रिकेट चयन ट्रायल सम्पन्न

सवाई माधोपुर (प्रा.सं.)। जिला कलक्टर बांसवाड़ा के माध्यम से अष्टम राजस्थान राज्य अंतर जिला स्तरीय सिविल सेवा बास्केटबॉल (पुरूष वर्ग) एवं सप्तम राजस्थान राज्य अंतर जिला

सिविल सेवा वॉलीबॉल (पुरूष वर्ग) प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन 23 दिसम्बर से 25 दिसम्बर, 2023 तक बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित है। वहीं अखिल भारतीय सिविल सेवा क्रिकेट (पुरूष वर्ग) प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन 15 दिसंबर से 21 दिसम्बर, 2023 तक संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा भी प्रस्तावित है। जिला खेल अधिकारी मीनू सोलंकी ने बताया कि जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला के निर्देशन में सवाई माधोपुर जिले के दलों के लिए चयन ट्रायल गुरूवार को कार्यालय जिला खेल अधिकारी, जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, दशहरा मैदान, सवाई माधोपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। उन्होंने बताया कि बताया कि अंतर जिला सिविल सेवा हेतु चयन स्पर्धा में वॉलीबाल में 15 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 16 खिलाड़ी एवं क्रिकेट खेल में 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयन ट्रायल प्रतियोगिता में शिक्षा, राजस्व, वन, पंचायतीराज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी आदि विभागों के सभी इच्छुक खिलाड़ियों ने भाग लिया।जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र के खेल प्रशिक्षक श्याम सिंह राजावत, हेमन्त सिंह राजावत, संजय सिंह राठौड़, अरबाज खान, रईस खान, हर्षवर्धन गुर्जर, संजय सिंघल, संजय शर्मा, मुनेश योगी एवं रघुवीर सिंह ने उपस्थित रहकर अंतर जिला सिविल सेवा हेतु चयन स्पर्धा संपन्न कराई।

3 दिसम्बर को रहेगा सूखा दिवस

बारां (प्रा.सं.)। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव की मतगणना 3 दिसम्बर को सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमा में सूखा दिवस रहेगा। आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 53 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना दिवस को जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित किया है। आदेशानुसार सूखा दिवस अवधि के दौरान जिले के किसी होटल, भोजनालय, मदिरालय, दुकान अथवा किसी अन्य लोक एवं प्राईवेट स्थान में कोई भी मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ का न तो विक्रय किया जाएगा, ना दिया जाएगा और ना वितरित किया जाएगा।

लीकेजों से व्यर्थ बह रही अमृत धारा

जलदाय अधिकारियों पर नहीं कोई फर्क

चाकसू (प्रा.सं.)। नगर पालिका क्षेत्र में जगह-जगह जलदाय विभाग की पाइप लाइन लीकेज पड़ी हुई है। यहां सुबह-शाम सप्लाई के दौरान रोजाना सैकड़ों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। लेकिन जिम्मेदारों को इसका ध्यान नहीं है। पाइप लाइन लीकेज होने से सभी घरों में पानी भी नहीं पहुंच पाता है।

इसको लेकर कई बार लोगों ने जलदाय विभाग को इसकी जानकारी दी। लेकिन उसके बाद भी किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है। लीकेज लाइन के कारण लोगों के यहां गंदा पानी पहुंच रहा है। विशेष बात ये है कि

कोटखावदा रोड स्थित जलदाय विभाग कार्यालय के पास ही पानी बर्बाद हो रहा है पास ही मौजूद कार्यालय में बैठे अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा है। हाल ये है कि शिकायतों के बाद भी अधिकारी इन लीकेजों को दुरुस्त नहीं करवा पा रहे हैं।

गौरतलब की इस इलाके से दिनभर अधिकारी गुजरते हैं, फिर भी इस और किसी का ध्यान नहीं जाता है। बताते दें कि जलदाय विभाग के पास कोटखावदा रोड पर सर्विस लाइन पर दो से तीन प्वाइंट्स पर पानी व्यर्थ बह रहा है। कस्बे के लोगों की ओर से जलदाय विभाग को अवगत कराने के बाद भी अभी तक इन लीकेजों को दुरुस्त नहीं कर पाई है। नगर पालिका के पास स्थित गणगौरी मैदान के सामने पाइप लाइन लीकेज है।

मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक व माइक्रो ऑब्जर्वर को दिया गया प्रशिक्षण

टोंक (प्रा.सं.)। विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. ओम प्रकाश बैरवा के निर्देशन में मतगणना स्थल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक में मतगणना को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए दो-दो मतगणना कक्ष का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक मतगणना कक्ष में 9-9 मतगणना टेबल होगी जिनमें रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में मतगणना कार्य को पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए

गुरुवार को कृषि ऑडिटोरियम में नियुक्त मतगणना कार्मिकों को प्रथम प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) ने प्रशिक्षण में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतगणना प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए प्रेरित किया तथा पोस्टल बैलट, ईवीएम वीवीपेट की पर्चियां की काउंटिंग पर चर्चा कर शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्मिकों से कहा कि वह मतगणना के प्रत्येक चरण में सक्रिय रहकर कार्य को अंजाम दें। सभी अधिकारी मतगणना से संबंधित दिशा-निर्देशों का अध्ययन करें ताकि मतगणना कार्य में कठिनाई न हो। अपने कार्य में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखे और धैर्य के साथ मतगणना कार्य संपादित करें। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी उम्मेदी लाल मीणा ने बताया कि कृषि ऑडिटोरियम में ईवीएम के लिए 84-84 गणना सुपरवाईजर, गणना सहायक एवं माइक्रो आब्जर्वर तथा पोस्टल बैलट के लिए 24-24 गणना सुपरवाइजर, गणना सहायक एवं माइक्रो आब्जर्वर को प्रशिक्षित किया गया।

मतगणना दल एवं माइक्रो आब्जर्वर का द्वितीय रेण्डमाईजेशन आज

बारां (प्रा.सं.)। विधानसभा चुनाव के तहत मतगणना केन्द्र पर नियुक्त किए जाने वाला मतगणना दल एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय रेंडमाइजेशन शुक्रवार को प्रात: 11 बजे 1 दिसंबर 2023 को मिनी सचिवालय के सभागार में किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एसएन आमेटा ने बताया कि मतगणना दल एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का रेण्डमाईजेशन केन्द्रीय चुनाव पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारियों, राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों मौजूद रहेंगे।

ऋणी व गैर ऋणी कृषकों को फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर

गेहुं, चना, सरसों व धनिया को बीमा करवाने के लिए अधिसूचित किया गया

बारां (प्रा.सं.)। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना 21 जुलाई 2023 को जारी की जा चुकी है। जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा कम्पनी को अधिकृत किया गया है।

जिले में रबी 2023-24 की फसलों के तहत गेहुं, चना, सरसों व धनिया को बीमा करवाने के लिए अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार फसल बीमा योजना के तहत फसली ऋ ण लेने वाले कृषक जिनकी फसल ऋण की सीमा को रबी के लिए 31 दिसम्बर तक स्वीकृत किया गया हो अथवा वितरीत किया गया हो, के कृषक फसल बीमा हेतु पात्र होंगे। ऋणी कृषकों हेतु योजना पूर्णत स्वैच्छिक है, किन्तु ऋ णी कृषकों को योजना सें पृथक रहनें के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 से सात दिवस 24 दिसम्बर 2023 तक अपने संबधित बैंक में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि संबधित बैंक फसल बीमा की कटौती करनें से पूर्व कृषक से इस आशय का प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करेंगे कि उसने इस भूमि पर बोई गई फसल का अन्य किसी बैंक से फसल बीमा नहीं करवाया है। ऋणी कृषकों द्वारा बिमित फसल में परिवर्तन की सूचना संबधित बैंक को देने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई है। गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषक स्वैच्छिक अथवा वह भू स्वामित्व के साक्ष्य, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, बैंक खाता संबधी साक्ष्य, आधार कार्ड की प्रति, अपना खाता पोर्टल से डाउनलोड की गई। स्वयं प्रमाणित नवीनतम जमाबन्दी, जिन जिलों के गावं के लैण्ड रिकोर्ड को भारत सरकार राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से इंटीग्रेशन नहीं किया गया है उनके लिए पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार द्वारा सत्यापित जमाबंदी की नकल ही मान्य होगी। स्वप्रमाणित फसल बुवाई घोषणा पत्र, बंटाईदार कृषक द्वारा सम्बंधित खातेदार से प्राप्त शपथ पत्र राशि रूपए 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के नॉटरी द्वारा प्रमाणित जिसमें संबधित कृषि भूमि का विवरण भी होगा जो बंटाई पर दी है। बंटाईदार कृषक का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, बंटाईदार कृषक एवं संबधित खातेदार दोनों कृषकों के स्वयं द्वारा संबधित आधार कार्ड की प्रति इत्यादि दस्तावेजों से गैर ऋणी कृषक के रूप में फसल बीमा करवाया जा सकता है। अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि ऋणी कृषकों का प्रीमियम उसके अन्य खातों से वसूल किया जाएगा। गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषक अपनी फसलों का बीमा स्वैच्छिक आधार पर निकट के कैन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सीएससी के माध्यम से करवा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि गैर ऋणी कृषक बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेन्ट, मध्यस्थी, प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल एनसीआईपी द्वारा भी फसल बीमा करवा सकते है। रबी 2023-24 हेतु गेंहु, चना, सरसों फसलों का बीमा जिले की सभी तहसीलों के कृषकों द्वारा करवाया जा सकता हैं। रबी 2023-24 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में अधिसूचित फसलों की प्रति हेक्टर धनिया 168022 रूपए, चना 102021 रूपए, सरसों 106098 रूपए, व गेंहू 99260 रूपए बीमित राशि निर्धारित की गई है। गेहुं, चना व सरसों फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत एवं धनिया फसल हेतु 5 प्रतिशत कृषक हिस्सा राशि कृशकों से ली जाएगी। कृषकों द्वारा गेहुं फसल हेतु प्रिमियम राशि 1489 रूपए, चना फसल 1530 रूपए, सरसों 1591 रूपए एवं धनिया 8401 रूपए वहन की जाएगी। शेष राशि राज्य व केन्द्र सरकार बराबर-बराबर अनुपात में वहन करेंगे।

ICICI Home Finance

कॉरपोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, भारत

शाखा कार्यालय : दूसरी मंज़िल, राजवंश निसान बिल्डिंग, पटेल स्टेडियम के सामने, बजरंग पेट्रोल पंप के पास, जयपुर रोड, अजमेर- 305001
शाखा कार्यालय : तीसरी मंज़िल, कमल टावर, ओल्ड कोर्ट हॉस्पिटल के सामने, नागौर, राजस्थान- 341001
शाखा कार्यालय : एस-32, जेडीए मार्केट, गोपालपुरा, मानसरोवर लिंक रोड, रिधि सिद्धि स्कीम के पास, जयपुर- 302018
शाखा कार्यालय : पहली मंज़िल, दुकान नंबर- 46 से 49, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, एम.आई. रोड, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर- 302001
शाखा कार्यालय : प्लॉट नंबर 1, पहली मंज़िल, सहयोग भवन, एरोड्रम सर्कल, कोटा- 324007

(नियम 8(6) के प्रावधान देखें)

अचल मालमत्ता के बिक्री के लिए सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से ऋणी (ओं) और गारंटीकर्ता (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित **अचल संपत्ति** सुरक्षित लेनदार को गिरवी / प्रभारित की गई है, जिसका भौतिक कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी हैं' पर नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेचा जाएगा:

अनु. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतदार कानूनी उत्तराधिकारी का नाम कर्ज खाता क्र.	प्रतिभूत मालमत्ता के साथ ज्ञात भार, कुछ हो तो तफ़सील	थकबाकी रकम	राखीव मूल्य रु. में बयाना राशि जमा रु. में	मालमत्ता परीक्षण की तिथि एवं समय	निलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	कमल राज झारोटिया (उधारकर्ता) रजनी देवी (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHAJM00001356098	पट्टा संख्या 83 ग्राम अराई पंचायत अराई पंचायत समिति अराई अजमेर अजमेर ना अजमेर राजस्थान- 305811	रु. 4,45,071/- 20 नवंबर 2023	रु. 6,34,716/- रु. 63,480/-	11 दिसंबर 2023 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 दिसंबर 2023 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न
2.	अल्लाह बगस शेख (उधारकर्ता) अब्दुल सलाम (सह-उधारकर्ता) राईसा बेगम (सह-उधारकर्ता) ए गफ्फार (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या NHMRC00000816602 और NHMRC00000826868 और LHMRC00001293834	वार्ड नंबर 17 व्यापारियों का मौहल्ला प्लॉट नंबर 15 मेड़ता सिटी- 341510	रु. 35,71,686/- 20 नवंबर 2023	रु. 20,81,674/- रु. 2,08,170/-	11 दिसंबर 2023 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 दिसंबर 2023 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न
3.	संदीप कुमार स्वामी (उधारकर्ता) इंदु देवी स्वामी गारंटर का नाम: हिमांशु जैन (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHJAI00001294651	नंबर क्यू1 क्यू2 क्यू3 आर5 आर6 आर7 कोरल इयोक नंदन विहार महल 5वीं मंज़िल प्लॉट जयपुर राजस्थान- 302020	रु. 25,22,877/- 23 नवंबर 2023	रु. 16,73,722/- रु. 1,67,380/-	11 दिसंबर 2023 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 दिसंबर 2023 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न
4.	मोहम्मद सलीम (उधारकर्ता) बेबी (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHBKR00001365793 और LHBKR00001365794	पट्टा नंबर 02, वार्ड नंबर 01, गांव-झुझना, द- मुंडवा, जिला- नागौर, राजस्थान- 341001	रु. 16,96,501/- 23 नवंबर 2023	रु. 12,75,458/- रु. 1,27,550/-	11 दिसंबर 2023 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 दिसंबर 2023 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न
5.	रामजी लाल बैरवा (उधारकर्ता) गोपाली देवी (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHJDC00001348125 और LHJDC00001348422	फ्लैट नंबर- 921 प्लॉट खसरा नंबर 107 से 110 और 112 रामसिंहपुरा सांगानेर ना जयपुर- 303902	रु. 5,15,291/- 23 नवंबर 2023	रु. 13,15,747/- रु. 131,580/-	11 दिसंबर 2023 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 दिसंबर 2023 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न
6.	बाल मुकुंद लोधनीवाल (उधारकर्ता) रीता गुप्ता (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHKOT00001337648 और LHKOT00001337466	116 एलआईजी केएच नंबर 151 ग्राम कुन्हाड़ी ना कोटा- 324001	रु. 10,90,283/- 23 नवंबर 2023	रु. 9,65,034/- रु. 96,510/-	11 दिसंबर 2023 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 दिसंबर 2023 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न
7.	विकास छाबड़ा (उधारकर्ता) गरिमा छाबड़ा (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHKOT00001355964 और LHKOT00001355965	बी 102 स्थित खसरा नंबर 175 (भाग) ग्राम बोरखंडी तह लाडपुरा ना कोटा-324001	रु. 10,91,486/- 23 नवंबर 2023	रु. 9,79,797/- रु. 97980/-	11 दिसंबर 2023 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 दिसंबर 2023 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न
8.	मोहम्मद अंज़ार सलमानी (उधारकर्ता) शाहीन खातून गारंटर का नाम: यश चतुर्वेदी (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHJAI00001368022 और LHJAI00001367122	ए 512 टावर ए शुभ आंगन पुष्प पदम वाटिका विल वाटिका ना जयपुर- 303905	रु. 10,50,285/- 23 नवंबर 2023	रु. 9,12,263/- रु. 91,230/-	11 दिसंबर 2023 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 दिसंबर 2023 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न
9.	प्रकाश नारायण झा (उधारकर्ता) अमिता कुमारी (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता नंबर NHYKA00000823850	फ्लैट नंबर 409, जीएच-6 रतलिया डिग्गी रोड जयपुर जयपुर- 302001	रु. 11,24,565/- 23 नवंबर 2023	रु. 9,18,459/- रु. 91,850/-	11 दिसंबर 2023 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 दिसंबर 2023 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न
10.	मोहम्मद अकरम अंसारी (उधारकर्ता) शाहनाज़ बानो (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHKOT00001298175	नंबर ए-509 रिम्शा रेजीडेंसी टॉवर ए 5वीं मंज़िल पर स्थित खसरा नंबर 24 ग्राम नयासेरा बूंदी रोड कोटा-324008	रु. 5,07,980/- 23 नवंबर 2023	रु. 10,18,828/- रु. 1,01,890/-	11 दिसंबर 2023 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 दिसंबर 2023 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न
11.	कैलाश चंद (उधारकर्ता) सुमन अंचरा, भंवर लाल (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHJDC00001392278 एवं LHJDC00001392520	फ्लैट नंबर 440 प्लॉट खसरा नंबर 107 से 110 और 112 रामसिंहपुरा सांगानेर जयपुर ना जयपुर राजस्थान- 303902	रु. 22,88,893/- 23 नवंबर 2023	रु.16,14,278/- रु.1,61,430/-	11 दिसंबर 2023 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक	19 दिसंबर 2023 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न

ऑनलाइन निलामी हमारी निलामी एजन्सी **ग्लोब टेक (यूआरएल लिंक https://BestAuctionDeal.com)** के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। गिरवी रखने वाले/सूचना कुल थकबाकी रकम का **18 दिसम्बर, 2023 को शाम 5.00 बजे** तक आगे के ब्याज के साथ प्रदान करने के लिए सूचना दी जाएगी अन्यथा, सदर प्रतिभूत मालमत्ता की अनुसूची अनुसार बिक्री की जाएगी।

संभावित बोलीदाताओं को **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरी मंज़िल, राजवंश निसान बिल्डिंग, पटेल स्टेडियम के सामने, बजरंग पेट्रोल पंप के पास, जयपुर रोड, अजमेर-** 305001 में बयाना राशि को **18 दिसंबर 2023 को शाम 04:00 बजे** से पहले (ईएमडी) आरटीजीएस / डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) जमा करना होगा।

संभावित बोलीदाताओं को पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड दूसरी मंज़िल, राजवंश निसान बिल्डिंग, पटेल स्टेडियम के सामने, बजरंग पेट्रोल पंप के पास, जयपुर रोड, अजमेर-** 305001 पर **18 दिसंबर 2023 को शाम 05:00 बजे से पहले** जमा करनी होगी। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से 'आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी' के पक्ष में **हुबली, धारवाड़** में देय होना चाहिए।

जांच के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, निलामी के नियम एवं शर्तें एवं निविदा को पेश करने के लिए कृपया **आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लिमिटेड** के फोन 022-69974300 पर या हमारे **सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर नेक्ससेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** पर सम्पर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी के पास कोई भी कारण न देकर सर्व बोली रद्द करने का अधिकार आरक्षित हैं।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आईसीआईसीआई बैंक लि. के वेबसाइट **https://www.icicihfc.com/** से सम्पर्क करें।

दिनांक : 1 दिसम्बर, 2023
स्थान : अजमेर, नागौर, जयपुर, कोटा

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लिमिटेड